

समाहरणालय, बक्सर  
(जिला गोपनीय शाखा)



E-mail Id : dm-buxar.bih@nic.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. (06183) 222231(Res.), 226935 (Off.)

## आदेश

परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार पटना के पत्रांक-टी0टी0प्रे0 237/2020 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2019-21 की प्रथम वर्ष की दिनांक 09.12.2020 से 12.12.2020 तक तथा सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की दिनांक 14.12.2020 से 17.12.2020 तक व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर बारकोड स्टिकर चस्पा करने का कार्य सम्पादित कराते हुये बारकोडेड उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर पहुँचाने के लिए समिति कार्यालय से प्रतिनियुक्त विशेष दूत को दिनांक 18.12.2020 तक हस्तगत किया जाना है। बारकोडेड उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कार्य दिनांक 22.12.2020 से पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर किया जाना है। व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं की बारकोडिंग हेतु **Chief Secrecy Officer** एवं **Deputy Chief Secrecy Officer** के कार्य तथा बारकोडिंग की प्रक्रिया आदि के संबंध में निम्न आवश्यक निर्देश दिया जाता है :-

01. **Chief Secrecy Officer/ Deputy Chief Secrecy Officer का दायित्व :-**

(i) डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2019-21 की प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा दिनांक 02.12.2020 से प्रारंभ होकर 14.12.2020 तक निर्धारित थी, जो अपरिहार्य कारणों से निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है।

| क्र0सं0 | प्रश्न-पत्र का विवरण  | पूर्व निर्धारित तिथि | संशोधित निर्धारित तिथि/पत्रांक                  |
|---------|---|----------------------|---|
| 1       | प्रथम पाली<br>F-5 Understanding Language and<br>Early Language Development<br><br>द्वितीय पाली<br>F-6 Gender and Inclusive<br>Perspectives in Education | 04.12.2020           | 09.12.2020<br><br>पत्रांक 247 दिनांक 23.11.2020 |
| 2       | प्रथम पाली<br>F-11 Art Integrated Education<br><br>द्वितीय पाली<br>F-12 Information and<br>communication Technology in<br>Education                     | 08.12.2020           | 15.12.2020<br><br>पत्रांक 265 दिनांक 07.12.2020 |

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2019-21 की प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा की व्यवहृत उत्तर-पुस्तिकाओं की बारकोडिंग का कार्य दिनांक 16.12.2020 तक पूर्ण कर लिया जाना है।

**Chief Secrecy Officer / Deputy Chief Secrecy Officer :-**

Chief Secrecy Officer हेतु श्री विकास कुमार जायसवाल, वरीय उपसमाहर्ता, बक्सर तथा Deputy Chief Secrecy Officer हेतु सुश्री रश्मि सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता, बक्सर को नामित किया जाता है। बारकोडिंग का कार्य Chief Secrecy Officer / Deputy Chief Secrecy Officer के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कराया जायेगा।

AS

**स्थल :-** बारकोडिंग कार्य समाहरणालय मुख्य भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित निर्धारित भवन में किया जायेगा। बारकोडिंग कार्य समाहरणालय मुख्य भवन के द्वितीय तल पर मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल द्वारा बारकोडिंग का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। उक्त भवन/हॉल के बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे संस्थापित किये जाएँगे ताकि भवन के बाहर की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त गोपनीय सामग्रियों को बारकोडिंग कक्ष तक लाने एवं निकालने हेतु एक वीडियोग्राफर एवं आवश्यकतानुसार मजदूर की व्यवस्था नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर द्वारा की जायेगी।

बारकोडिंग कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सेक्रेसी ऑफिसर/डिप्टी सेक्रेसी ऑफिसर/पदाधिकारी/कर्मि एवं अन्य कार्य हेतु राशि का भुगतान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि से नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर द्वारा किया जायेगा।

## 02. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- व्यवहृत ओ0एम0आर0 आधारित उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट्स समाहरणालय स्थित कोषागार बज्रगृह में विषयवार (विषय के न्यूमेरिकल कोडवार) सुरक्षित रखा गया है।
- बारकोडिंग कार्य हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गोपनीय सामग्रियों को वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा।
- व्यवहृत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर बारकोड चस्पा करने का कार्य मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।
- मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के द्वारा बारकोडिंग में संलग्न सेक्रेसी पदाधिकारी/दण्डाधिकारी एवं कर्मियों को अपने हस्ताक्षर से विधिवत पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।
- डी0एल0एड0 (फेस-टु-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 का प्रथम वर्ष की दिनांक 02.12.2020 से 09.12.2020 एवं 15.12.2020 तक दो पाली में आयोजित की जानेवाली परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों का विषयवार संख्या तालिका में निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | विषय का नाम   | विषय कोड | परीक्षार्थियों की संख्या |
|----------|---|----------|--------------------------|
| 1        | Understanding society, Education and Curriculum       | F-1      | 599                      |
| 2        | Childhood and the Development of Children             | F-1      | 599                      |
| 3        | Early Childhood Care and Education                    | F-3      | 609                      |
| 4        | School Culture, Change and Teacher Development        | F-4      | 597                      |
| 5        | Understanding Language and Early Language Development | F-5      | 605                      |
| 6        | Gender and Inclusive Perspectives in Education        | F-6      | 601                      |
| 7        | Pedagogy of Mathematics-1 (Primary Level)             | F-7      | 602                      |
| 8        | Pedagogy of Hindi-1(Primary Level)                    | F-8      | 599                      |
| 9        | Proficiency in English (Primary Level)                | F-9      | 603                      |
| 10       | Pedagogy of Environmental Studies                     | F-10     | 600                      |
| 11       | Art Integrated Education                              | F-11     | 599                      |
| 12       | Information and Communication Technology in Education | F-12     | 599                      |

- डी0एल0एड0 (फेस-टु-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की दिनांक 10.12.2020 से 14.12.2020 तक दो पाली में आयोजित की जानेवाली परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों का विषयवार संख्या तालिका में निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | विषय का नाम   | विषय कोड | परीक्षार्थियों की संख्या |
|----------|---|----------|--------------------------|
| 1        | (Education in contemporary Indian Society)            | S-1      | 319                      |
| 2        | (Cognition, Learning and the Development of Children) | S-2      | 319                      |
| 3        | (Towards Self-Understanding)                          | S-4      | 319                      |
| 4        | (Health, Yoga and Physical Education in School)       | S-5      | 319                      |
| 5        | (Pedagogy of English (Primary Level)                  | S-6      | 319                      |

|   |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
| 6 | (Pedagogy of Mathematics-2 (Primary Level))                      | S-7 | 319 |
| 7 | (Pedagogy of Hindi-2 Primary Level)                              | S-8 | 319 |
| 8 | (Pedagogy of anyony subject from Upper-primary Level (class6-8)) | S-9 |     |
|   | A. Mathematics   |     | 22  |
|   | B. Science   |     | 95  |
|   | C. Social Science  |     | 146 |
|   | D. English   |     | 06  |
|   | E. Hindi   |     | 30  |
|   | F. Sanskrit  |     | 04  |
|   | G. Maithili  |     | 00  |
|   | H. Bangla  |     | 00  |
|   | I. Urdu  |     | 16  |

6. उत्तर पत्रक के दाहिने भाग को फलाईंग स्लिप के रूप में इंगित किया जाता है।
7. ब्रजगृह से मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को बारकोडिंग हेतु व्यवहृत उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि समिति द्वारा विषयवार/पालीवार बारकोड स्टीकर उपलब्ध कराया जायगा। सभी केन्द्रों को व्यवहृत उत्तरपुस्तिका एवं फलाईंग स्लिप को 200 की संख्या में पैकेटिंग कराया जाय।
8. सेक्रेसी पदाधिकारी उत्तरपुस्तिका को परफोरेटेड लाईन पर मेटल स्केल रखकर उसे फाड़ेंगे तथा दाहिने भाग के फलाईंग स्लिप को 200 की संख्या में लिफाफा में रखकर मुहरबंद करेंगे। यदि किसी केन्द्र में 200 से कम संख्या में उत्तरपुस्तिका प्राप्त हो तो उतनी ही संख्या में पैकेटिंग कराएँगे।
9. व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर बारकोड स्टीकर चस्पा करने हेतु व्यवहृत उत्तरपुस्तिका का सिल्ड पैकेट मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा।
10. उत्तरपत्रक के निचले भाग में तीन चौकोर बॉक्स मुद्रित है जिसपर एक ही संख्या का बारकोड स्टीकर चस्पा किया जायगा।
11. बारकोडिंग कक्ष के भीतर खाना पकाने व आग जलाने की अनुमति नहीं होगी। यथा आवश्यक अग्निशमन की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जायेगी।
12. बारकोडिंग का कार्य समाप्त होने के उपरान्त मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी/उप मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे और अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही वे उक्त कार्य से मुक्त होंगे।
13. बारकोडिंग कार्य में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा बारकोडिंग किये जाने वाले कक्ष में मोबाईल फोन रखना पूर्णतः वर्जित होगा।
14. किसी भी पदाधिकारी या कर्मियों के द्वारा इस कार्य में कदाचार किये जाने पर उनके विरुद्ध बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
15. किसी भी मीडियाकर्मी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बारकोडिंग कक्ष में प्रवेश करने अथवा फोटो लेने की इजाजत नहीं होगी केवल इस कक्ष के खुलने एवं बन्द किये जाने के अवसर पर उसमें कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारी व कर्मियों के प्रवेश करने व बाहर निकलने के दौरान नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर द्वारा नियुक्त वीडियोग्राफर कक्ष के बाहर की वीडियोग्राफी करेंगे। व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं, बारकोड स्टीकर्स आदि की वीडियोग्राफी कदापि नहीं की जायेगी।

16. जिस कक्ष में बारकोडिंग का कार्य किया जायेगा उसके लिए निम्नांकित रूप में लॉग बुक संधारित किया जायेगा :-

Log Book of Building in which used answer books of Diploma in Elementary Education (D.El.Ed) Face-to-Face 1<sup>st</sup> Year and 2<sup>nd</sup> Year Examination-2020 have been brought for Barcoding.

### District- Buxar

| Date of Entry | Time of Entry | Name & Designation of the Officer while entering | Purpose of Entry | Signature of Officer while entering | Signature of The Magistrate/Police Officer/Incharge of Barcoding Room/Building while entering | Time of Exit | Total time spent inside the room | Signature of Officer coming out | Signature of the Magistrate/ Police Officer/ Incharge of Barcoding Room/ Building while entering | Remarks |
|---------------|---------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---------|
| (1)           | (2)           | (3)  | (4)              | (5)                                 | (6)   | (7)          | (8)                              | (9)                             | (10)   | (11)    |

17. बारकोडिंग के कार्य में संलग्न सिक्रेसी पदाधिकारी व कर्मियों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित उपस्थिति पंजी में आगमन व प्रस्थान कर समय अंकित करते हुए उनकी उपस्थिति अंकित की जायेगी।
18. बारकोडिंग कक्ष में धूम्रपान करना वर्जित रहेगा।
19. जिस कक्ष में बारकोडिंग कार्य होगा उस कक्ष में मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी/उप मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी एवं अन्य कर्तव्यारूढ़ कर्मियों के अतिरिक्त मात्र अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक ही कार्य के अनुश्रवण हेतु प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस बल अथवा किसी भी पदाधिकारी/कर्मि का प्रवेश वर्जित रहेगा।
20. व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर बारकोडिंग होने के पश्चात् मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी उसी दिन वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर से समन्वय स्थापित कर बारकोडेड उत्तरपुस्तिका को बज्रगृह में सुरक्षित जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर बारकोडिंग कार्य दिनांक 16.12.2020 तक सम्पन्न किये जाने के उपरांत फ्लाइंग स्लिप के लिफाफे को बारकोड लेखा, अर्थात् (Annexure-A, B, C) चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा। विहित प्रपत्र की एक प्रति मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी अपने पास तथा उसकी एक प्रति सिल्ड बन्द लिफाफे में समिति स्थित वज्रगृह में प्राप्त करायेगे एवं दो अन्य प्रतियों को फ्लाइंग स्लिप के पैकेट में रखेंगे। बारकोडेड उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर पहुँचाने के लिए समिति कार्यालय से प्रतिनियुक्त विशेष दूत को वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर दिनांक 18.12.2020 या समिति द्वारा अन्य निर्धारित तिथि तक हस्तगत कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

**बारकोडिंग कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/दण्डाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति :-**

बारकोडिंग कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी एवं को-ऑर्डिनेटर/दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-क' एवं 'ख' के अनुसार की गयी है।

बारकोडिंग कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 'राउण्ड द क्लॉक' पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक, बक्सर के द्वारा की जायेगी।

Chief Secrecy Officer एवं सभी प्रतिनियुक्त Deputy Chief Secrecy Officer तथा बारकोडिंग कार्य में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार पटना के पत्रांक-टी0टी0प्रे0 237/2020 दिनांक 02.11.2020 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये (Annexure-A, B, C) के संबंध में दिए गए निदेशों का अक्षरसः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

10/11/2020  
जिला पदाधिकारी, बक्सर  
-सह-  
मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक 104328/बक्सर गो0 दिनांक 10/12/2020

- प्रतिलिपि :- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर/डी0आई0ओ0, बक्सर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि बारकोडिंग कक्ष की सुरक्षा के लिए 'Round the clock' पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डिप्टी चीफ सेक्रेसी ऑफिसर बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- चीफ सेक्रेसी ऑफिसर बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/2020  
जिला पदाधिकारी, बक्सर  
-सह-  
मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक 10-4328 / बक्सर गो० दिनांक 10/12/2020

प्रतिलिपि :-

परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार पटना के पत्रांक-  
टी०टी०प्रे० 237/2020 दिनांक 02.11.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी, बक्सर  
-सह-  
मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक 10-4328 / बक्सर गो० दिनांक 10/12/2020

प्रतिलिपि :-

सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी, बक्सर  
-सह-  
मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक

**परिशिष्ट - "क"**

**चीफ सेक्रेसी ऑफिसर के साथ प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी**

| क्र० सं० | चीफ सेक्रेसी ऑफिसर का नाम एवं पदनाम                                     | सरकारी कर्मी का नाम एवं पदनाम   |
|----------|---|---|
| (1)      | (2)   | (3)   |
| 1.       | श्री विकास कुमार जायसवाल,<br>वरीय उपसमाहर्ता, बक्सर।<br>मो०- 9973968001 | श्री बिरेन्द्र कुमार, लिपिक, जिला राजस्व शाखा, बक्सर<br>श्री शैलेश कुमार, कार्यालय परिचारी, स्थापना शाखा, बक्सर |

**डिप्टी चीफ सेक्रेसी ऑफिसर के साथ प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी**


| क्र० सं० | डिप्टी चीफ सेक्रेसी ऑफिसर का नाम एवं पदनाम                          | सरकारी कर्मी का नाम एवं पदनाम   |
|----------|---|---|
| (1)      | (2)   | (3)   |
| 1.       | सुश्री रश्मि सिन्हा,<br>वरीय उप समाहर्ता, बक्सर।<br>मो०- 9599169418 | श्री संजीव कुमार वर्मा, लिपिक, जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर<br>श्री दुर्गेश पाण्डेय, लिपिक, जिला सामान्य शाखा, बक्सर<br>श्री राजू कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला नजारत शाखा, बक्सर |

**सेक्रेसी सुपरवाइजर**

| क्र०सं० | सेक्रेसी सुपरवाइजर का नाम एवं पदनाम                         |
|---------|---|
| (1)     | (2)   |
| 1.      | श्री राहुल कुमार सिंह, लिपिक, जिला राजस्व शाखा, बक्सर       |
| 2.      | श्री प्रशान्त कुमार सिन्हा, लिपिक, जिला स्थापना शाखा, बक्सर |

**कम्प्यूटर इन्ट्री हेतु**

| क्र०सं० | कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम एवं पदनाम                          |
|---------|--|
| (1)     | (2)  |
| 1.      | श्री प्रमोद कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला आपदा शाखा, बक्सर |


  
 जिला पदाधिकारी, बक्सर  
 -सह-  
 मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट - "ख"

बारकोडिंग कक्ष की सुरक्षा एवं गोपनीय सामग्रियों को बज्रगृह से बारकोडिंग कक्ष तक पहुँचाने के लिए 'Round the clock' हेतु कार्डिनेटर

| क्र०सं०<br>(1) | समय<br>(2)               | कार्डिनेटर का नाम/पदनाम/मो०सं०<br>(3)  |
|----------------|--------------------------|--|
| 1.             | 07:00 A.M. से 02:00 P.M. | श्री अनुपम किशोर,<br>सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,<br>जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर।<br>मो०- 9771017357    |
| 1.             | 02:00 A.M. से 10:00 P.M. | श्री शिव कुमार सिंह,<br>सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,<br>जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर।<br>मो०- 7739048876 |

पुलिस अधीक्षक, बक्सर बारकोडिंग कक्ष की सुरक्षा के 'Round the clock' हेतु पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला पदाधिकारी, बक्सर  
-सह-  
मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक



सं. 23/11/20

पत्रांक-बी.टी. 0. 237 / 2020

## बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (विविध)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

पटना, दिनांक 02 / 11 / 2020

विषय : डिप्लोमा इन इलेमेन्ट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) फेस-टु-फेस कोर्स के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों की वर्ष, 2020 में आयोजित परीक्षा का व्यवहृत उत्तरपत्रक पर बारकोड स्टीकर चस्पा करने एवं बारकोडेड उत्तरपत्रक के पलाईंग स्लिप के पैकिंग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालित राज्य के सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की बाह्य विषयों की परीक्षा क्रमशः दिनांक 02.12.2020 से 08.12.2020 तथा 10.12.2020 से 14.12.2020 तक दो पालियों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों (सूची संलग्न) पर आयोजित की जा रही है।

डी.एल.एड. (फेस-टु-फेस) कोर्स के उपरोक्त दोनों सत्रों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उपरान्त सभी विषय की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का बारकोडिंग भवदीय निर्देशन में अपर समाहर्ता सह मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल की प्रतिनियुक्ति कर किया जाना है। ऐसी स्थिति में भवदीय द्वारा चिह्नित स्थल पर बारकोडिंग चस्पा कराने की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही निम्नवत् प्रारंभ कराने की कृपा की जाय :-

1. बारकोडेड उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कार्य भी दिनांक 22.12.2020 से पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर किया जाना है तदनुसार डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2019-21 की प्रथम वर्ष की दिनांक 09.12.2020 से 12.12.2020 तक तथा सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की दिनांक 14.12.2020 से 17.12.2020 तक व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर बारकोड स्टीकर चस्पा करने का कार्य सम्पादित करा लिया जाना है।
2. परीक्षा केन्द्रों से प्रतिदिन परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त व्यवहृत ओ.एम.आर. आधारित उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट्स जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित बज्रगृह में विषयवार (विषय के न्यूमेरिकल कोडवार) सुरक्षित रखे जायेंगे, जहाँ उनकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की व्यवस्था रहेगी।
3. बारकोडिंग कार्य में प्रयुक्त होनेवाले सामग्रियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा।
4. व्यवहृत ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर बारकोड चस्पा करने का कार्य आपके अधीन अपर समाहर्ता सह मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल द्वारा सम्पन्न किया जाना है।
5. मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के द्वारा बारकोडिंग में संलग्न सेक्रेसी पदाधिकारी/दण्डाधिकारी एवं कर्मियों को अपने हस्ताक्षर से विधिवत् पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।
6. डी.एल.एड. (फेस-टु-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 का प्रथम वर्ष की दिनांक 02.12.2020 से 08.12.2020 तक दो पाली में आयोजित की जानेवाली परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों का विषयवार संख्या तालिका में निम्नवत् है:-

| क्र.सं. | विषय का नाम   | विषय कोड | परीक्षार्थियों की संख्या |
|---------|---|----------|--------------------------|
| 1       | Understanding society, Education and Curriculum       | F-1      | 599                      |
| 2       | Childhood and the Development of Children             | F-2      | 599                      |
| 3       | Early Childhood Care and Education                    | F-3      | 609                      |
| 4       | School Culture, Change and Teacher Development        | F-4      | 597                      |
| 5       | Understanding Language and Early Language Development | F-5      | 605                      |
| 6       | Gender and Inclusive Perspectives in Education        | F-6      | 601                      |

|    |   |      |     |
|----|---|------|-----|
| 7  | Pedagogy of Mathematics-1 (Primary Level)             | F-7  | 602 |
| 8  | Pedagogy of Hindi-1 (Primary Level)                   | F-8  | 599 |
| 9  | Proficiency in English (Primary Level)                | F-9  | 603 |
| 10 | Pedagogy of Environmental Studies                     | F-10 | 600 |
| 11 | Art Integrated Education                              | F-11 | 599 |
| 12 | Information and Communication Technology in Education | F-12 | 599 |

- 6.1 डी.एल.एड. (फेस-टु-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की दिनांक 10.12.2020 से 14.12.2020 तक दो पाली में आयोजित की जानेवाली परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों का विषयवार संख्या तालिका में निम्नवत् है:-

| क्र.सं. | विषय का नाम  | विषय कोड | परीक्षार्थियों की संख्या |
|---------|--|----------|--------------------------|
| 1       | (Education in Contemporary Indian Society)                     | S-1      | 319                      |
| 2       | (Cognition, Learning and the Development of Children)          | S-2      | 319                      |
| 3       | (Towards Self-Understanding)                                   | S-4      | 319                      |
| 4       | (Health, Yoga and Physical Education in School)                | S-5      | 319                      |
| 5       | (Pedagogy of English (Primary Level)                           | S-6      | 319                      |
| 6       | (Pedagogy of Mathematics-2 (Primary Level)                     | S-7      | 319                      |
| 7       | (Pedagogy of Hindi-2 (Primary Level)                           | S-8      | 319                      |
| 8       | Pedagogy of anyone subject from Upper-primary level (class6-8) | S-9      |                          |
|         | A. Mathematics   |          | 22                       |
|         | B. Science   |          | 95                       |
|         | C. Social Science  |          | 146                      |
|         | D. English   |          | 06                       |
|         | E. Hindi   |          | 30                       |
|         | F. Sanskrit  |          | 04                       |
|         | G. Maithili  |          | 00                       |
|         | H. Bangla  |          | 00                       |
|         | I. Urdu  |          | 16                       |

- उत्तरपत्रक के दाहिने भाग को फ्लाइंग स्लिप के रूप में इंगित किया जाता है।
- बज्रगृह से मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को बारकोडिंग हेतु व्यवहृत उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि समिति द्वारा विषयवार/पालीवार बारकोड स्टीकर उपलब्ध कराया जायेगा। सभी केंद्रों का व्यवहृत उत्तरपुस्तिका एवं फ्लाइंग स्लिप को 200 की संख्या में पैकेटिंग कराया जाय।
- सेक्रेसी पदाधिकारी उत्तरपुस्तिका के परफोरेटेड लाइन पर मेटल स्केल रखकर उसे फाड़ेंगे तथा दाहिने भाग के फ्लाइंग स्लिप को 200 की संख्या में लिफाफा में रखकर मुहरबंद करेंगे। यदि किसी केंद्र में 200 से कम संख्या में उत्तरपुस्तिका प्राप्त हो तो उतनी ही संख्या में पैकेटिंग कराएँगे।
- व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर बारकोड स्टीकर चस्पा करने हेतु व्यवहृत उत्तरपुस्तिका का सिल्ड पैकेट मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा।
- उत्तरपत्रक के निचले भाग में तीन चौकोर बॉक्स मुद्रित है जिसपर एक ही संख्या का बारकोड स्टीकर चस्पा किया जायेगा।
- जिला पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल द्वारा बारकोडिंग का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। उक्त भवन/हॉल के बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे संस्थापित किये जाएँगे ताकि भवन के बाहर की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी द्वारा पूर्व की परीक्षा में निर्धारित दर पर अधियाचित राशि का भुगतान समिति द्वारा किया जाएगा। बारकोडिंग किये जाने वाले निर्धारित कक्ष के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे संस्थापित नहीं किये जायेंगे।
- बारकोडिंग कक्ष के भीतर खाना पकाने व आग जलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं यथाआवश्यक अग्निशमन की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जायेगी।

14. बारकोडिंग का कार्य समाप्त होने के उपरान्त मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी/उप मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे और आपसे अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही वे उक्त कार्य से मुक्त होंगे।
15. बारकोडिंग कार्य में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा बारकोडिंग किये जाने वाले कक्ष में मोबाईल फोन रखना पूर्णतः वर्जित होगा।
16. किसी भी पदाधिकारी या कर्मियों के द्वारा इस कार्य में कदाचार किये जाने पर उनके विरुद्ध बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
17. किसी भी मीडियाकर्मी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बारकोडिंग कक्ष में प्रवेश करने अथवा फोटो लेने की इजाजत नहीं होगी। केवल इस कक्ष के खुलने एवं बन्द किये जाने के अवसर पर उसमें कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारी व कर्मियों के प्रवेश करने व बाहर निकलने के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त विडियोग्राफर द्वारा कक्ष के बाहर की विडियोग्राफी की जायेगी। व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं, बारकोड स्टिकर्स आदि की विडियोग्राफी कदापि नहीं की जायेगी।
18. जिस कक्ष में बारकोडिंग का कार्य किया जायेगा उसके लिए निम्नांकित रूप में लॉग बुक संधारित किया जायेगा:-

Log Book of.....Building in which used answer books of Diploma in Elementary Education (D.El.Ed) Face-to-Face 1<sup>st</sup> Year and 2<sup>nd</sup> Year Examination-2020 have been brought for Barcoding.

District - -----

| Date of Entry | Time of Entry | Name & Designation of the Officer while entering | Purpose of Entry | Signature of Officer while entering | Signature of the Magistrate/Police Officer/Incharge of Barcoding Room/Building while entering | Time of Exit | Total time spent inside the room | Signature of Officer coming out | Signature of the Magistrate/Police Officer/Incharge of Barcoding Room/Building while entering | Remarks |
|---------------|---------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| 1             | 2             | 3  | 4                | 5                                   | 6   | 7            | 8                                | 9                               | 10  | 11      |

19. बारकोडिंग कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 'राउण्ड द क्लॉक' पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति जिला स्तर से की जायेगी।
20. बारकोडिंग के कार्य में संलग्न सिंक्रेसी पदाधिकारी व कर्मियों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित उपस्थिति पंजी में आगमन व प्रस्थान का समय अंकित करते हुए उनकी उपस्थिति अंकित की जायेगी।
21. बारकोडिंग कक्ष में धूम्रपान करना वर्जित रहेगा।
22. जिस कक्ष में बारकोडिंग कार्य होगा उस कक्ष में मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी/उप मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी एवं अन्य कर्तव्यारूढ़ कर्मियों के अतिरिक्त मात्र जिला पदाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ही कार्य के अनुश्रवण हेतु प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस बल अथवा किसी भी पदाधिकारी/कर्मियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
23. व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर बारकोडिंग होने के पश्चात् मुख्य सेक्रेसी पदाधिकारी उसी दिन बारकोडेड उत्तरपुस्तिका को बज्रगृह में सुरक्षित जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
24. व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर बारकोडिंग कार्य दिनांक 16.12.2020 तक सम्पन्न किये जाने के उपरांत फ्लाइंग स्लिप के लिफाफे को बारकोड लेखा, अर्थात् (Annexure- A, B, C) चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा। विहित प्रपत्र की एक प्रति मुख्य सिंक्रेसी पदाधिकारी अपने पास तथा उसकी एक प्रति सिल्ड बन्द लिफाफे में समिति स्थित बज्रगृह में प्राप्त करायेंगे एवं दो अन्य प्रतियों को फ्लाइंग स्लिप के पैकेट में रखेंगे। बारकोडेड उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर पहुँचाने के लिए समिति कार्यालय से प्रतिनियुक्त विशेष दूत को दिनांक 18.12.2020 तक हस्तगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

परीक्षा नियंत्रक (विविध)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

21/11/20

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 237 / 2020

पटना, दिनांक 02/11 / 2020

प्रतिलिपि : प्रभारी वण्डाधिकारी / जिला नियंत्रण कक्ष, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 237 / 2020

पटना, दिनांक 02/11 / 2020

प्रतिलिपि : सचिव/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ समर्पित।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

